

कार्यालय-उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 55/2018

दिनांक:- 15/05/2018

धारा-53 R.T.A.


:: निर्णय / डिक्री ::

श्री जगजी कृपणी ध. इकरा मीणा सा. देह खातेदार

सह खातेदारों ने न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत केम्प दामडी में उपस्थित होकर सहमति बटवारा करने हेतु वाद पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहखातेदारों द्वारा ग्राम दामडी की जमाबंदी संवत् 2070-73 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति तथा बटवारा स्कीम जिसमें प्रत्येक का आने वाला हिस्सा एवं लगान को दर्शाया गया है तथा नक्शा ट्रेस जिसमें प्रत्येक के आने वाले हिस्सों को पृथक -2 रंग से दर्शाया गया है प्रस्तुत किया गया। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस के संबंध में पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट ली गई। एवं तहसीलदार द्वारा सहमति अनुसार बटवारों की अभिशंषा की गई।

ग्राम दामडी पटवार हल्का दामडी की जमाबंदी संवत् 2070-73 की प्रमाणित प्रति अनुसार खाता संख्या 229 नया 220 पुराना खसरा नं० 119, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 328, 329, 333, 338 योग किता 14 योग रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा में श्री जगजी कृपणी ध. इकरा मीणा सा. देह खातेदार

सहखातेदार है। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम दामडी के खाता नं० 229 नया 220 पुराना के खसरा नं० 119, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130 योग किता 14 योग रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा का सहखातेदारों के मध्य प्रस्तुत बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस अनुसार बटवारा किया जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर निर्णय / डिक्री की पालना सुनिश्चित कर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल-दरामद की कार्यवाही करे। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस निर्णय / डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।


फ० दामडी


उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर